

कार्यालय वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, उ०प्र०, बाँदा

पत्रांक 561 / 33-1 / दिनांक: बाँदा : मार्च ०८, 2016

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ ।

विषय :-

बुन्देलखण्ड विकास निधि हेतु ककनारे बाबा नाले पर 2x5 मी० स्पान एवं 7.00 मी० ऊंची
आर०सी०सी० बाक्स कवर्ट एवं कर्व मरम्मत हेतु 0.30 हे० वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :-

प्रभागीय वनाधिकारी, बाँदा का पत्रांक-3359/33-1 दिनांक 02.03.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो आपको सम्बोधित एवं अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित किया गया है। का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें आपके पत्र सं०-08 बी/यू०पी०/०६/०६/2016/एफ०सी०/1993 दिनांक 22.01.2016 द्वारा उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में अंकित की गयी कमियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, बाँदा द्वारा बिन्दुवार किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी, बाँदा द्वारा आपके उक्त पत्र में अंकित की गयी कमियों के जवाब से अधोहस्ताक्षरी सहमत हैं।

अतः उपरोक्त संशोधित प्रस्ताव ऑनलाइन कर आपकी सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। सुलभ-सन्दर्भ हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, बाँदा के पत्र की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(डा० के०एल० मीना)
वन संरक्षक,
चित्रकूटधाम वृत्त, बाँदा

पृष्ठांकन संख्या /अ/समदिनांक ।

प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी, बाँदा वन प्रभाग को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० के०एल० मीना)
वन संरक्षक,
चित्रकूटधाम वृत्त, बाँदा

कार्यालय प्रशासकीय वनाधिकारी
बांदा वन प्रशाखा, बांदा

पत्रांक 3359/834

दिनांक - बांदा 09 मार्च 2016

रूप में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक
वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन
17राणा प्रताप मार्ग, उ०प्र० लखनऊ

विषय- बुन्देलखण्ड विकास निधि हेतु ककनारे बाबा नाले पर 2x5 मी. स्थान एवं 7.00 मीटर ऊंची आर०सी०सी० बाकरा कलवर्ट एवं कर्व गरम्मत हेतु 0.30 हेक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन।


संदर्भ- आपका पत्रांक 08बी/यू.पी./06/06/2016/एफ.सी./1993 दिनांक 22.01.2016

सहाय्य,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि संशोधित प्रस्ताव में आने वाली त्रुटियों का निर्धारित प्रारूप में निराकरण निम्नप्रकार किया गया है।

Observation	Observation of Govt	Reply
1	जिला बांदा में इको क्लास-1 दिखाया गया है जोकि गलत है।	जिला बांदा में इको क्लास-III है।
2	प्रस्ताव के भाग-2 में परियोजना का वित्तीय ले-आउट 2.16 करोड़ दर्शाया गया है जबकि प्रतिदिन एक भी व्यक्ति रोजगार लाभान्वित नहीं है। इसका क्या कारण है?	रोजगार का विवरण अंकित कर दिया गया है जो प्रस्ताव के पृष्ठ 10-5 पर संलग्न है।
3	प्रस्ताव के भाग-1 के आगे के दो पृष्ठ अस्पष्ट है।	अस्पष्ट पृष्ठों के स्थान पर स्पष्ट पृष्ठ संलग्न कर दिये गये है।
4	प्रस्ताव में प्रस्तुत किया गया ले-आउट प्लान वन विभाग द्वारा प्रमाणित नहीं है एवं सम्बन्धित मानचित्र भी अस्पष्ट है।	ले-आउट प्लान वन विभाग द्वारा प्रमाणित करा दिया गया है। स्पष्ट मानचित्र संलग्न कर दिया गया है।
5	प्रस्ताव में संलग्न वन भूमि की अधिसूचना में यह नहीं दर्शाया गया है कि कौन सा भाग प्रस्ताव में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है?	प्रस्ताव में संलग्न वनभूमि की अधिसूचना में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि के भाग का दर्शा दिया गया है। साथ ही मानचित्र संलग्न कर दिया गया है।
6	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का भूसंदर्भित डिजिटल मानचित्र मुख्य बिन्दुओं के जी.पी.एस., को-ऑर्डिनेट के साथ उपलब्ध नहीं कराया गया है। को-ऑर्डिनेट को सारणी में उपलब्ध कराया गया है किन्तु इसे मानचित्र में बिन्दुओं के साथ लिंक नहीं किया गया है।	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का भूसंदर्भित जी.पी.एस. को-ऑर्डिनेट उपलब्ध करा दिये गये है। साथ ही kmf फॉर्म सी.डी. सहित संलग्न कर दी गयी है।
7	टोपोशीट अस्पष्ट है एवं उससे कुछ भी	स्पष्ट टोपोशीट संलग्न कर दी गयी है।

Observ No.	Observation of Gol	Reply
8	भाग-2 में पातन किये जाने वाले वृक्षों के व्योरे में 30 सेमी व्यास के वृक्षों की गणना नहीं की गयी है	भाग-2 में ऑनलाइन प्रस्ताव में 0 से 30 सेमी व्यास के वृक्षों के लिये कोई कॉलम नहीं है। इसलिये ऑनलाइन प्रस्ताव में नहीं दर्शाया गया है। 30 सेमी. व्यास के वृक्षों की गणना प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दी गयी है।
9	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का मानचित्र एवं योजना नहीं उपलब्ध करायी गयी है।	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का जी.पी.एस को-ऑर्डिनेट के साथ मानचित्र संलग्न कर दिया गया है जो भूमि प्रस्तावित भूमि के बदले में दी जा रही है। उररी भूमि में क्षतिपूरक वृक्षरोपण कराया जायेगा।
10	प्रस्ताव अधूरा है। मूल प्रस्ताव की भौतिक प्रति भी अपेक्षित है। यदि उसमें कोई और त्रुटि पायी जाती है तो उसको भी पत्र के द्वारा सूचित किया जायेगा।	प्रस्ताव में पायी गयी त्रुटियों को दूर कर पुनः प्रेषित है।


 प्रभागीय वनाधिकारी
 बांदा वन प्रभाग, बांदा

दिनांक.....

पत्रांक
प्रतिलिपि-

1. वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा को सूचनाार्थ प्रेषित।


 प्रभागीय वनाधिकारी
 बांदा वन प्रभाग, बांदा